पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2782 / अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 22.11.2005

:: सूचना ::

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 10.12.2005 को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित है ।

सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है ।

विषय सूची :– बाद में प्रेषित की जायेगी ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 2783 / अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 22.11.2005

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 3078 /अका./2005 15.12.2005 22

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 10.12.2005 को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में पूर्वान्ह् 11.00 बजे आयोजित की गई। सर्वप्रथम कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के लिये मनोनीत होने के बाद प्रथम बार उपस्थित सदस्य डॉ.शशिभूषण एवं डॉ एच.आर.शर्मा का कार्यपरिषद की ओर से बधाई एवं स्वागत करते हुये कहा कि नवनियुक्त सदस्य का सहयोग इस सदन को मिलेगा। अन्य सभी सदस्यों को भी आज की बैठक में स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

१.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
३.	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
४.	डॉ.हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
५.	डॉ शशिभूषण	सदस्य
६.	डॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
७.	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
८.	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
९.	डॉ एच.आर.शर्मा	सदस्य
१०.	डॉ हेमलता महोबे	सदस्य
११.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
१२.	डॉ जी.डी.साव	सदस्य
१३.	श्री के.के.चन्द्राकर,कुलसचिव	सचिव

12 मुख्य कार्यसूची पर चर्चा के उपरान्त बैठक स्थगित किया गया। स्थगित बैठक गुरुवार दिनांक 15.12.2005 को पुनः आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

१.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
२.	डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
३.	डॉ एम.ए.खान	सदस्य
४.	डॉ शशिभूषण	सदस्य
५.	डॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
६.	डॉ ए.के.बंसल	सदस्य
७.	डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
८.	डॉ एच.आर.शर्मा	सदस्य
९.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
१०.	डॉ जी.डी.साव	सदस्य
११.	श्री के.के.चन्द्राकर,कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त -

(१) (अ) कार्य परिषद की बैठक दिनांक ०४.१०.२००५ एवं आपातिक बैठक दिनांक ०८.११.२००५ के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय कार्यपरिषद की उपरोक्त तिथियों में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि करने के पूर्व दिनांक 24.9.2005 को आयोजित कार्यपरिषद की आपातिक बैठक के कार्यवृत्त में निर्णय पर विचार कर निम्नानुसार संपुष्टि की गई-

"कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 24.9.2005 के कार्यवृत्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर के अध्ययन केंद्र राज्य शासन के अनुमति से तथा राज्य के बाहर के केंद्र दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति से ही स्थापित किया जा सकता है। अब दूरवर्ती शिक्षा के लिये पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के कारण इस विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अध्ययन केंद्रों को वर्ष 2005-06 के लिये प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावे तथा अध्ययन केंद्रों द्वारा जमा की गई फीस में से वापसी योग्य फीस वापस की जावे। इस पूरे कार्यवृत्त से कार्यपरिषद का आशय दूरवर्ती शिक्षा संस्थान को बंद करना ही था परन्तु स्पष्ट रूप से त्रूटिवश अभिलिखित नहीं हुआ। अतः कार्यवृत्त दिनांक 24.9.2005 के अनुक्रम में दूरस्थ शिक्षा संस्थान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को दिनांक 24.9.2005 के प्रभाव से ही बंद माने जाने की संपुष्टि की गई।"

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.10.2005 एवं आपातिक बैठक दिनांक 8.11.2005 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ संपुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 3-डा.हर्षवर्धन तिवारी ने अवगत कराया कि कार्यवृत्त में उनके द्वारा की गई आपत्ति को शामिल किया जावे। स्थायीकरण के संबंध में परिनियम 31 का उल्लंघन गोपनीय चरित्रावली नकारात्मक होने के कारण स्थायीकरण के निर्णय में असहमत है। संबंधित शिक्षकों की परीवीक्षा अवधि (2 वर्ष) पूर्ण होने के बाद प्रशासन द्वारा इस शिक्षकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः नियमानुसार संबंधित शिक्षकों का स्थायीकरण किया गया।

विषय क्र.8- पूर्व कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार डॉ हर्षवर्धन तिवारी को तत्संबंध की जानकारी से अवगत कराया जावे। भवन निर्माण संबंधी कार्यवाही के पूर्व बजट प्रावधान भी सुनिश्चित किया जावे।

विषय क्र.9- डॉ एच.व्ही तिवारी ने जानकारी दी कि उन्हें संबंधित नस्ती अवलोकन नहीं कराया गया अतः संबंधित नस्ती उन्हें अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावे।

विषय क्र.18- सभी विभागाध्यक्षों को (व्यय विभाग के मद से) को दूरभाष सुविधा के संबंध में पूर्व निर्णय में संशोधित कर सभी व्यय प्रशासन विभाग द्वारा ही किया जावे। डॉ एम.ए.खान ने अवगत कराया कि किसी के अनुमति से उनके यहाँ दूरभाष लगाया गया तथा यह भी जानकारी मिली है कि किसी ने दूरभाष लगाने कहा है इसीलिये दूरभाष लगाया गया परन्तु प्रशासन से सूचना पुनः जारी हुआ कि बिना कुलसचिव एवं कुलपति के अनुमति के किसी भी विभाग में नये दूरभाष कनेक्शन नहीं लगाये जावे। इस संबंध में परीक्षण किया जावे कि किसके आदेश पर संबंधित विभाग में दूरभाष लगाये गये।

क्रमांक 28 प्रतिमा की स्थापना के बाद एवं परिसर विकास - रेखांकित शब्दों को सम्मिलित किया जावे।

(अ) श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर द्वारा प्राचार्य पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन के आधार पर कुल 14 उम्मीदारों ने आवेदन किया। साक्षात्कार दिनांक 3.12.2005 को संबंधित महाविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। चयन समिति की अनुशंसा संबंधी लिफाफा सीलबंद रखा गया तथा कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद की बैठक में लिफाफा खोला गया तथा चयन समिति प्राचार्य पद के लिये डॉ. गुले नगमा कुरैशी का नाम अनुशंसित किया है जिसे अनुमोदन किया गया। श्रीमती प्रमीला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय में विगत छः माह से प्राचार्य की नियुक्ति संबंधी प्रकरण लंबित है तथा अध्ययन अध्यापन दोनों की व्यवस्था में मैंनेजमेंट एवं संबंधित प्राध्यापकों के बीच विवाद होने के कारण व्यवधान हो रहा है। चूंकि अनेक शिकायतों के बाद चयन समिति आयोजित हुआ तथ चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने में संबंधितों द्वारा मुश्किलें पैदा करने की पूर्ण संभावना है। अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुये तत्काल प्रभाव से नियुक्त प्राचार्य को कार्यभार ग्रहण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही के लिये अनुशंसित किया गया।

(ब) सत्र २००५-०६ में दीक्षांत समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय कुलपति जी ने समस्त सदस्यों को जानकारी दिया कि फरवरी 2006 में द्वादश दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना है जिसके लिये मुख्य अतिथि तय करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सांयकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जावे तथा रात को समस्त कर्मचारियों के लिये रात्रिभोज रखा जावे। इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दीक्षांत संबंधी समस्त कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जावे। इस दीक्षांत समारोह के आयोजन में होने वाले कुल रूपये 10 लाख व्यय का प्रावधान बजट में करते हुये व्यय की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। दीक्षांत समारोह में दिये जाने वाले स्वर्ण पदक के साथ ही साथ तीन अवार्ड जैसे - फेरोइलेक्ट्रिक अवार्ड, स्वामी आत्मानंद अवार्ड, डॉ शंकरदयाल शर्मा अवार्ड दिये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जावे। सुयोग्य व्यक्तियों को मानद् उपाधि से अलंकृत करने का भी निर्णय लिया गया।

(स) दिनांक ०२.०२.२००५ से दिनांक २४.०८.२००५ तक विभिन्न विषयों में शोध उपाधि प्राप्त ५९ विद्यार्थियों को कुलपति जी के अनुमोदन से उपाधि प्रदान करने की कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(द) वार्षिक परीक्षा २००५ के उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु निकाली गई उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण प्रतिपर्ण के अंकों में भिन्नता के कारण सम्बन्धित परीक्षकों के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(४) विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक २५.१०.२००५ में गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

(५) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक २७.१०.२००५, २८.१०.२००५ एवं ०७.११. २००५ के कार्यवृत्त में किये गये अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई। आवश्यकतानुसार संबंधित भवनों के लिये बजट प्रावधान वित्त विभाग के सहयोग से सुनिश्चित किया जावे।

(६) प्रभारी जनसंपर्क कार्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विभागीय इंप्रेस्ट रू. २०००/- एवं सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ के लिये रूपये 5000/- विभागीय इम्प्रेस्ट स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय स्वीकृत की गई।

(७) राय फाउंडेशन महाविद्यालय, क्षेत्रीय संचालक, रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितता सम्बन्धी शिकायतों की जांच हेतु प्रो. व्ही.के. गुप्ता, जाँच अधिकारी के दिनांक ०७.११.२००५ द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विस्तृत जाँच की जावे। राय फाउण्डेशन को इस संबंध में अधिकारिक पत्र भेजकर जांच सहयोग करने हेतु निर्देश दिया जावे।

(८) मे. रालास मोटर्स, टाटीबंध, रायपुर से क्रय की गई Bolero+L-A/C 10ST के मूल्य रू. ५०८९४०/- कुलपतिजी के अनुमोदन से भुगतान करने की कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(९) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा मे. गोदरेज एण्ड बॉयज मेन्युफेक्चरिंग कं. लिमिटेड, जबलपुर से विश्वविद्यालय परिसर बस्तर एवं अन्य के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुबंध करने पर विचार करना ।

निर्णय बस्तर परिसर जगदलपुर के लिये प्रस्तावित व्यय राशि रूपये 6,16,910/- के प्रशासकीय स्वीकृति एवं सामग्री प्राप्त होने पर भुगतान की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। यह निर्णय लिया गया कि मे.गोदरेजएण्ड बॉयज कं.लिमिटेड से अन्य विभागों के फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुबंध कराये जाने हेतु अनुमोदन दिया गया।

(१०) विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के गंभीर बीमारियों हेतु सामूहिक बीमा कराने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय संबंधित प्रकरण पर पुनः परीक्षण कराकर कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(११) विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकरणों की जाँच हेतु नियुक्त की जाने वाली जाँच समिति के जाँच अधिकारी/अध्यक्ष को मानदेय प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय वित्त विभाग से परीक्षण करवाकर मानदेय प्रदान करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(१२) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ शिक्षक-विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य नहीं देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्र दिनांक २५.१०.२००५ के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय विषय क्रमांक 40 में निर्णय लिया गया है।

(१३) विश्वविद्यालय में Corpusfund की स्थापना हेतु निर्मित्त अध्यादेश एवं स्थापना हेतु गठित समिति की दिनांक २९.११.२००५ को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । अध्यादेश एवं व्यतचनेनिदक की स्थापना हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

निर्णय संबंधित प्रकरण पर परीक्षण करा लिया जावे।

(१४) वार्षिक परीक्षा सत्र २००५-०६ हेतु उत्तर-पुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय निर्माता कम्पनी इमामी पेपर मिल कलकत्ता से कागज क्रय करने की कार्यवाही किया जाने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माता कंपनी बिलासपुर से भी संपर्क किया जावे। यदि उनके कम दर है और गुणवत्ता की दृष्टि से कागज संतोषप्रद है तो क्रय करने संबंधी कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन किया गया। डॉ तिवारी ने अवगत कराया गया कि उन्हें तीन वर्षों में कागज क्रय पर व्यय की गई राशि का विवरण माँग करने पर नहीं दी गई है अतः निर्णय लिया गया कि यह विवरण तत्काल उपलब्ध कराया जावे।

पूरक विषय

(१५) सूचना का अधिकार २००५ (मार्गदर्शिका) के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए बनाये गये दिशा निर्देशन पर विचार करना ।

निर्णय इस सम्बन्ध में प्रारुप को अंतिम रूप देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जावे- 1. कुलाधिसचिव - संयोजक, 2. डॉ जी.एल.मूंधड़ा-सदस्य, 3.डॉ एल.एस.निगमसदस्य। समिति सात दिवस के अंतर्गत प्रारुप तैयार करें। संबंधित अधिकारियों से चर्चा उपरान्त सूचना के अधिकार 2005 से संबंधित अधिनियम के तहत् प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर अनुमोदन के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सूचना अधिकारी से मिलने हेतु समय निर्धारित कर आवश्यक संशोधन करते हुये अनुमोदन हेतु कुलपति जी को प्रस्तुत करेंगे। कुलपति जी द्वारा अनुमोदन उपरान्त संबंधित प्रस्ताव के संबंध में अधिसूचना जारी किया जाकर इसकी कार्यवाही की सूचना आगामी कार्यपरिषद की बैठक में दी जावे।

(१६) भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक ०८.१२.२००५ के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 8.12.2005 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। [illegible] संबंधित भवनों के लिये बजट प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।

(१७) विनियम क्रमांक १०८ के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा निर्माणाधीन भवनों के [illegible] निर्माता कम्पनी स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई स्टील [illegible] आवश्यकतानुसार मात्रा में छड़ क्रय करने हेतु अनुबंध करने पर विचार करना। [illegible] भवनों हेतु २७१ टीएमटी छड़ की आवश्यकता होगी जिसमें अनुमानित [illegible] ६९,१३,१७१/- व्यय होगा । सम्बन्धित भवनों के टेंडर की कार्यवाही प्रगति पर [illegible] शासन द्वारा स्वीकृत राशि को इसी बजट में खर्च करना है । अतः समय [illegible] देखते हुए सीधे निर्माता कम्पनी से अनुबंध करने एवं रू.६९,१३,१७१/- के [illegible] स्वीकृति हेतु अनुमति के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय विनियम क्रमांक 108 के अन्तर्गत सीधे निर्माता कंपनी स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया से [illegible] लिये आवश्यकतानुसार छड़ क्रय करने हेतु अनुबंध करने की अनुमति दी गई। यह भी निर्णय [illegible] गया कि शासन द्वारा संबंधित भवनों के लिये स्वीकृत राशि का बजट वर्ष में खर्च [illegible] आवश्यकता को देखते हुये कार्यसूची के अनुसार संबंधित भवनों में 271 टी एमटी छड़ [illegible] अनुमानित लागत 69,13,171/- रूपये है को प्रदान करने हेतु अग्रिम भुगतान की स्वीकृति [illegible] गई। यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माता कम्पनी से सीमेंट क्रय करने हेतु अनुबंध किया जाना।

(१८) विश्वविद्यालय में केम्पस नेटवर्किंग का कार्य का प्रथम देयक रू. ९१२९५४/- (रूपये [illegible] लाख बारह हजार नौ सौ चौवन मात्र) के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने बाबत [illegible] करना।

निर्णय सी.एम.सी., टैगोर नगर का प्रथम देयक रूपये 9,12,954/- के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

(१९) विश्वविद्यालय संगणक विज्ञान अध्ययन शाला के सेमिनार हॉल में एसी एवं एक्सेसरीज हेतु व्यय रू. ८०१५५०/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में [illegible] करना ।

निर्णय वि.वि. संगणक विज्ञान अध्ययन शाला के सेमिनार हाल में ए.सी. एवं एक्सेसीरिज हेतु प्रस्तावित व्यय राशि रूपये 8,01,550/- की प्रशासनिक स्वीकृति एवं क्रय उपरान्त भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

(२०) विश्वविद्यालय के विधिक प्रकोष्ठ से विधिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी [illegible] न्यायालीन कार्यो हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पास कार्य पूर्ण करने [illegible] उपस्थित होने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :-

(I) प्रतिदिन स्थानीय न्यायालय हेतु रू. १००/-
(II) उच्च न्यायालय बिलासपुर हेतु रू. ३००/-
(III) उच्चतम अथवा अन्य न्यायालय हेतु रू. ५००/-

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय वि.वि. के विधिक प्रकोष्ठ से विधिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को न्यायालयीन कार्यों हेतु वि.वि. द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के पास उपस्थित होने पर यात्रा अवधि को छोड़कर निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि (टी.ए./डी.ए. के अतिरिक्त) प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई-

(I) स्थानीय न्यायालय हेतु रू. १००/- प्रतिदिन
(II) उच्च न्यायालय बिलासपुर हेतु रू. ३००/- प्रतिदिन
(III) उच्चतम अथवा अन्य बाहर न्यायालय हेतु रू. ५००/- प्रतिदिन

(२१) श्री दीनानाथ शर्मा, नि.श्र. लिपिक को भविष्यनिधि से आंशिक पूर्ण भुगतान रू. १५०००/ की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय शासन के नियमानुसार कार्यवाही किया जावे।

(२२) श्री समारू राम यादव, भृत्य, शारीरिक शिक्षा विभाग को दिनांक ०१.०८.२००५ को सेवानिवृत्त सूचना दिये जाने के बाद श्री समारू राम यादव को प्राप्त नोटिस के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त अभिमत पर विचार करते हुए प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय (1)सेवानिवृत्त की प्रक्रिया जारी रखा जावे, एवं (2)चूँकि यह कार्यवाही विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर की गई। विभागाध्यक्ष द्वारा अब उनके कार्यों को संतोषप्रद बताया है तथा अंतिम बार क्षमा प्रदान करने का मौका दिया जावे। यह अनुशंसा (पूर्व में प्रेषित अनुशंसा से) विरोधाभास है अतः यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागाध्यक्ष को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया जावे।

(२३) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दिनांक ०६.०८.२००५ को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित वाहनों की नीलामी किया जाना प्रस्तावित है :-

क्रमांक	वाहन क्रमांक	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार
१.	CG-04-ZD-0196	02-03-1990	जीप
२.	CG-04-ZD-0801	29-11-1995	ट्रेक्स
३.	CG-04-ZD-0195	07-10-1996	एनी कार
४.	CG-04-ZD-0802	20-05-1998	ट्रैक्स
५.	CG-04-ZD-0197	02-06-1998	एम्बेसेडर कार

विनियम क्रमांक १०८ के भाग-८ की कण्डिका-८ के अनुसार केन्द्रीय अपलेखन समिति में कार्य परिषद की ओर से एक सदस्य नामांकित करने के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय समिति में कार्यपरिषद की ओर से डॉ एम.ए.खान, कार्यपरिषद सदस्य को नामांकित करने का अनुमोदन किया गया। यह भी परीक्षण करा लिया जावे कि नीलामी किये जाने वाहनों पर एक वर्ष के अंदर रूपये 10000/- से 15000/- या उससे अधिक किसी वाहन पर खर्च तो नहीं किया गया है तथा यह भी देख लिया जावे कि वाहनों को कितने वर्षों के बाद वाहन विक्रय किया जा सकता है।

(२४) विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के विभागों तथा अध्ययन शालाओं में लगभग ५५ कम्प्यूटर क्रय करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विनियम क्रमांक 108 के प्रावधान अनुसार सीधे निर्माता/फैक्टरी से गुणवत्ता के आधार पर कम्प्यूटर क्रय करने हेतु कम से कम दो निर्माता कंपनी से गुण एवं दोष के आधार पर अनुबंध करने एवं अनुबंध के आधार पर क्रय करने की कार्यवाही की स्वीकृति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। यह निर्णय लिया गया कि किसी भी संस्था के अनुबंध में न्यूनतम वारन्टी अवधि, वार्षिक मरम्मत अनुबंध, ब्रेकडाउन रिपेरियंग एवं उनके रिपेयरिंग के संबंध में सर्विस का भी सुनिश्चित कर लिया जावे तथा एक साथ कम्प्यूटर क्रय करने पर उन्हें 90 प्रतिशत तक ही भुगतान किया जाने तथा 10 प्रतिशत भुगतान वारन्टी अवधि समाप्त होने के बाद करने संबंधी शर्त को अनुबंध शामिल किया जावे।

(२५) नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर एवं विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विचार करना ।

निर्णय नागरिक कल्याण महा.नंदिनी नगर में चयन समिति की अनुशंसा अनुसार प्राचार्य पद पर डॉ सालिक राम त्रिपाठी के नाम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में यह भी जानकारी दी गई कि नंदिनी

महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक द्वारा शिकायत की गई है कि प्राचार्य नियुक्ति के लिये राशि की मांग की गई है अतः नियुक्ति किये जाने के पहले इस पर जाँच की जावे अतः संबंधित प्रबंधन को इस संबंध में जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे तथा जांचोपरान्त संबंधित प्राचार्य के अनुमोदन संबंधी पत्र विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु दी जावे।

विकास शिक्षा महाविद्यालय में चयन समिति ने प्राचार्य की नियुक्ति के लिये कोई अनुशंसा नहीं की तथा यह पद पुनः विज्ञापित किया जावे। तब तक डॉ एस.एन.ठाकुर प्रभारी प्राचार्य पर कार्य करते रहेंगे।

(२६) फेकिंग मशीन में ३ प्रतिशत पोस्टल कमीशन विश्वविद्यालय खाता में जमा नहीं करने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय प्रकरण की जाँच करने हेतु एक जाँच समिति का गठन किया जावे। साथ ही उन्हें सात दिवस का समय देते हुये नोटिस भी जारी किया जावे कि क्यों न उक्त प्रकरण में पूर्व निर्णयानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति किया जावे तथा उनके द्वारा स्वीकार किये गये राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनके भविष्य निधि खाते से वसूल कर वि.वि. खाते में जमा किया जावे। प्रकरण पर पोस्ट आफिस द्वारा राशि किसके द्वारा लिया गया की जानकारी अनेक पत्रों के बाद भी नहीं दिया जा रहा है का सूचना के अधिकारी के तहत् यह जानकारी प्राप्त की जावे।

(२७) डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, जैविकी अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को बस्तर परिसर जगदलपुर के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने के लिए समन्वयक नियुक्त करने पर विचार करना ।

निर्णय डॉ एम.एल.नायक, सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष जैविकी अध्ययन शाला पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. को बस्तर परिसर जगदलपुर के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के संपादन करने हेतु समन्वयक नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया। उनहें शासन के नियमानुसार वेतन की पात्रता होगी एवं अन्य सुविधा जैसे दूरभाष एवं आवास भी शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा दिया जावे। इसकी सूचना शासन को भेजकर स्वीकृति ली जावे।

(२८) शुक्रवार दिनांक ०९.१२.२००५ को सम्पन्न विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक में की गई अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 9.12.2005 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

२९. मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में मनोनयन हेतु डॉ जी.बी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, पं.जे.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के आवेदन पर विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ जी.बी.गुप्ता, विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, पं.जे.एन.एम. चिकित्सा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया में वि.वि. के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत करने का अनुमोदन किया गया ।

शासकीय डी.के.महाविद्यालय बलौदाबाजार के प्रबंधन हेतु गठित जनभागीदारी समिति मे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने पर विचार करना।

निर्णय शासकीय डी.के.महाविद्यालय बलौदाबाजर के प्रबंधन हेतु गठित जनभागीदारी समिति में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में डॉ बी.के.शर्मा, विभागाध्यक्ष गणित अध्ययन शाला पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को नियुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

११ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार करना -

(१) प्रवजन प्रमाणपत्र
(२) डुप्लीकेट अंकसूची
(३) प्रोविजनल प्रमाणपत्र

उपरोक्त प्रमाणपत्र हेतु प्रति प्रमाणपत्र लेखन रू. ४/-, जाँचकर्ता रू. २/-, हस्ताक्षरकर्ता २/- अभिलेख रू. १/- स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय जब तक परीक्षा शुल्क में वृद्धि न हो तब तक दर को यथावत रखा जावे।

१२ श्री हेमंत शर्मा, द्वितीय श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग को लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना । इस सम्बन्ध में आवासीय अंकेक्षक से अभिमत प्राप्त कर लिया गया है, अतः प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय चूँकि इस प्रकरण में शासन के आदेश 11.7.1991 में संशोधित हो गया है तथा संबंधित कर्मचारी ने लेखा प्रशिक्षण परीक्षा जनरवरी 1992 में उत्तीर्ण किया तथा जो भी लाभ दिया जाता है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दिया जाता है अतः इस प्रकरण में संबंधित कर्मचारी को इसका लाभ लेने की पात्रता नहीं बनती। अतः प्रकरण अमान्य किया गया।

१३ **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2005 छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित तिथि गुरुवार 25 अगस्त 2005 में सभा समाप्त किये जाने, सभा की शक्तियाँ कार्यपरिषद को प्रदान करने एवं सभा के लिये अधिनियम में उल्लेखित बिंदुओं का लोप करने संबंधी सूचना ग्रहण करना।**

निर्णय संबंधित राजपत्र में प्रकाशित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2005 में उल्लेखित संशोधन की सूचना ग्रहण की गई। संबंधित संशोधन में सभा के कर्त्तव्य एवं शक्ति से संबंधित यदि कोई निर्णय छूट गया हो तो वह कार्यवाही कार्यपरिषद द्वारा की जावेगी। संबंधित संशोधन के अनुसार में निम्नलिखित निर्णय मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना ग्रहण किया गया-

1अ राज्य विधान सभा द्वारा मनोनीत राज्य विधान मण्डल के पाँच सदस्य।

उक्त निर्णय के तहत कार्यपरिषद में पाँच सदस्य राज्य विधान मंडल के द्वारा मनोनीत करने हेतु कार्यवाही की जावे।

34. एंबुलेंस क्रय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय आपात स्थिति में उपयोग करने हेतु आगामी बजट में एंबुलेंस क्रय करने हेतु बजट प्रावधान किये जाने के लिये सिद्धांतः स्वीकार किया गया।

35. **विश्वविद्यालय द्वारा बस क्रय किये जाने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय विश्वविद्यालय में कई विभाग ऐसे है जिसमें नियमित रूप से अध्ययन के लिये बाहर जाने की आवश्यकता होती है इसी प्रकार अनेक कर्मचारी 10 कि.मी. के अधिक दूरी से कार्य हेतु उपस्थित होता है राजधानी होने के कारण शहर में दूरियाँ बढ़ हो चुकी है अतः निकटम स्थान पर आवास मिलना भी कठिन हो गया है अतःएक बस क्रय करने पर विचार किया जावे जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम किराये पर प्रतिदिन कार्यालय लाने ले जाने की सुविधा दिया जा सके। जब भी शैक्षणिक विभागों में छात्रों को शैक्षणिक टूर के लिये जाना है तो उसका उपयोग किया जा सके। अतः निर्णय लिया गया कि बस क्रय करने हेतु आगामी बजट में रखा जावे।

36. **वि.वि. परिसर में पैट्रोलिंग करने हेतु वाहन क्रय करने के संबंध में विचार करना।**

निर्णय अगले बजट में इसका भी प्रावधान किया जावे।

37. **छात्र कल्याण विभाग के अंतर्गत स्टूडेंट एमेनिटी केंद्र स्थापित करने पर विचार करना।**

निर्णय यह जानकारी में लाया गया कि छात्रों से संबंधित शुल्क लगभग रू.10,00,000 प्रति वर्ष प्राप्त होता है अतः इस मद के लिये प्राप्त शुल्क का व्यय उनसे संबंधित कार्यों में ही किया जावे तथा स्टूडेंट एमेनिटी केंद्र की स्थापना किया जावे। इस हेतु बजट प्रावधान रू.100 लाख आगामी बजट में किया जावे।

38. **शासकीय महाविद्यालय कवर्धा में बी.काम.अंतिम हेतु किये गये मूल्यांकन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर विचार करना।**

निर्णय शासकीय महाविद्यालय कवर्धा में बी.काम अंतिम के पुर्नमूल्यांकन परिणाम आने के पश्चात् यह पाया गया कि अधिकांश परीक्षार्थियों के परिणाम में अधिक अंतर आया है। संबंधित केंद्र में वार्षिक परीक्षा के दौरान मूल्यांकन में सर्तकता नहीं बरती गई है। अतः निर्णय लिया गया कि आगामी वर्षों के लिये संबंधित महाविद्यालय को मूल्यांकन केंद्र नहीं बनाया जावे।

39. **कोलबिंया महाविद्यालय के परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार करना।**

निर्णय कोलबिंया महा. के परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन में यह जिक्र किया गया है कि उन्हें दो विषयों में जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया गया है। अतः इस संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित विषय की उत्तरपुस्तिका का परिणाम समिति से एक बार पुनः परीक्षण करा लिया जावे।

40. **श्रवण सिंह ठाकुर अध्यक्ष एवं बसंत औसर सचिव पं.र.शु.वि.वि. संघ के पत्र क्रमांक 74 दिनांक 14.12.2005 पर विचार करना।**

निर्णय

1. प्रभारी नाम पद का विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान नहीं है। अतः कर्मचारियों को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी बनाने में एतराज नहीं है। अतः पूर्व की तरह विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी को यथावत रखा जावे।

गुरु घासीदास वि.वि. की कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय के आधार पर चिकित्सा भत्ते में वृद्धि की अनुशंसा की जाती है। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण अनुमोदन हेतु समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

पेंशन प्रकोष्ठ द्वारा पेंशन संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

सफाई एवं सुरक्षा के लिये एक निश्चित अवधि तक संबंधित कार्यों को परीक्षण के बतौर अनुबंध किया गया है। अतः अभी परीक्षण दौर गुजर रहा है अतः यही प्रथा चालू रखा जावे।

स्थानांतरण नीति के संबंध में कुलसचिव पूर्व निर्णय का परीक्षण करेंगे।

रिक्त पद पर नियमित भर्ती पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने पर प्रयास किये जावे।

श्री किशन की सेवा के संबंध में पूर्व निर्णय को यथावत रखा जावे।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 7.7.2004, 6.8.2005, 31.8.2005 एवं 4.10.2005 में कर्मचारियों के संबंध में लिये गये निर्णय का पालन सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण कराया जावे।

तत्संबंध में परीक्षण किया जावे।

डॉ बीना पाठक, रीडर/सहायक संचालक, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विस्तार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करना।

निर्णय संबंधित प्रकरण पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत् प्रतिपूर्ति दिये जाने के लिये सिद्धांतः स्वीकार किया गया। इस संबंध में शासन एवं अन्य सदस्यों से अभिमत प्राप्त कर इस प्रकार के प्रकरण हेतु एक निर्धारित मापदण्ड एवं नीति संबंधी प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद में अनुमोदन हेतु रखा जावे। चूँकि अभी डॉ बीना पाठक कैंसर के उपचार हेतु भरती है अतः उन्हें पुनः 1 लाख रूपये का चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया।

वि.वि. परिसर से जुड़े हुये लगभग 66 एकड़ जमीन भूअर्जन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय वि.वि. परिसर से जुड़े हुये लगभग 66 एकड़ जमीन के भूअर्जन संबंधी प्रकरण विगत कई वर्षों से राजस्व विभाग के समक्ष लंबित है। इस प्रकरण पर पुनः राजस्व विभाग को 66 एकड़ जमीन वि.वि. को प्रदान करने के लिये आवेदन दिया गया। 66 एकड़ जमीन के भूअर्जन के लिये जो राशि की मांग राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित की जाती है वह राशि शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे। इसी प्रत्याशा में यह अनुमोदन किया गया तथा इसी आधार पर शासन से राशि प्राप्त करने एवं संबंधित भूअर्जन में व्यय करने हेतु बजट प्रावधान कर लिया जावे।

अकादमिक स्टॉफ कालेज की स्थापना के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अकादमिक स्टॉफ कालेज की स्थापना को अनुमोदित किया गया तथा इस हेतु आवश्यक बजट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।

अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (1) कार्यपरिषद के कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से सात दिवस के भीतर ही समस्त सदस्यगण निर्णयों से संबंधित पृच्छा प्रस्तुत करेंगे। कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुष्टि के लिये केवल संबंधित विषय (जिसमें सदस्यों द्वारा पृच्छा की गई है) पर ही चर्चा किया जावे, एवं (2) कार्यपरिषद की आपातिक बैठक को छोड़कर सामान्य बैठक हर दो माह में आयोजित की जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 3079 /अका./का.प./२००५ रायपुर, दिनांक : 22.१२.२००५

प्रतिलिपि :-

१. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।

२. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ इस निवेदन के साथ प्रस्तुत कि कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयानुसार कृपया कार्यपरिषद के कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर ही निर्णयों से संबंधित पृच्छा प्रस्तुत करें जिससे कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुष्टि के पूर्व केवल संबंधित विषय (जिसमें सदस्यों द्वारा पृच्छा की गई है पर ही चर्चा किया जा सके ।

३. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,

४. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,

५. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव